केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 211 रविवार 22 फरवरी 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

जल संरक्षण के लिये संत निरंकारी मिशन का अभियान 22 से

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संत निरंकारी मिशन द्वारा चलाए जा रहे "प्रोजेक्ट अमृत" के चौथे चरण का शुभारंभ 22 फरवरी को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक देशभर में किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की स्वच्छता एवं संरक्षण का कार्य किया जाएगा।

संत निरंकारी मंडल बस्ती के मुखी लालमन चौधरी ने बताया कि यह अभियान देश के 1500 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। बस्ती में अमहट घाट कुआनो नदी पर मिशन के सेवादार के भाई बहन व महात्मा जन एकत्र होकर नदी की सफाई का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल सफाई अभियान नहीं, बल्कि समाज में जल के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव जागृत करने का एक प्रयास है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण मामले में कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगा मुकदमा

प्रयागराज (आभा)। प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई थी। आरोप है कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आवेदक ने अदालत में कथित साक्ष्य के रूप में सीडी भी प्रस्तुत करने का दावा किया है। गौरतलब है कि 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था और सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उन्हें न्यायालय से न्याय मिला है और वे प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल यात्रा निकाल कर लोगों के सामने तथ्य रखने की बात कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया जा रहा है और आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट होगी।

इस मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच्चाई सबके सामने आ जायेगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराया गया है। हम मुकदमे का सामना करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स ने कहा कि आरोप लगाने वाले खुद हिस्ट्रीशीटर हैं। हमारी न्यायपालिका और सच्चाई पर पूरा भरोसा है। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सकहा कि जब मुकदमा दर्ज होगा, तब जांच की प्रक्रिया चलेगी, गवाहियां दर्ज होंगी और फर्जी मुकदमे की सच्चाई सबके सामने आएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स ने कहा कि हम यही अपील करेंगे कि न्यायालय इस मामले में देरी न करे और शीघ्र गति से कार्यवाही करे, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर इस पर टिकी है। जल्द से जल्द गवाहियां दर्ज कर निर्णय लिया जाए। फर्जी केस को फर्जी ही साबित होना है।

पत्रकार को पितृ शोक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दैनिक भास्कर न्यूज एप के पत्रकार राज प्रकाश के पिता सूर्य प्रकाश का शनिवार को आकस्मिक निधन हो गया। परिजनों ने बताया कि उनका निधन अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण हुआ। कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज के बाद वह बेहोश हो गए थे। जिसके बाद उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जहां दो दिन तक उनका इलाज चला। उसके बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और घर ले जाकर सेवा करने के लिए कहा। जिसके बाद शनिवार सुबह उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कुंआनों के मुडघाट तट पर किया गया।

बसपा नेता डा. सचिन श्रीवास्तव ने तेज किया जागरूकता अभियान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मियां तेज हो गयी है। बहुजन समाज पार्टी नेता डा. सचिन श्रीवास्तव ने बस्ती सदर क्षेत्र में सघन सम्पर्क तेज कर दिया है। वे गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। डा. सचिन श्रीवास्तव बसपा के उद्देश्य, पार्टी की नीतियों और संगठन की मजबूती को लेकर आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। बैठकों के दौरान उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात कही और सामाजिक समरसता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि विकास, कानून व्यवस्था और सम्मान की राजनीति बसपा की प्राथमिकता है। क्षेत्र के कई गांवों और वार्डों में हुई बैठकों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। समर्थकों का कहना है कि इस जनसंपर्क अभियान से संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी चुनाव में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल बस्ती सदर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं।

एफ.आई.आर के निष्पक्ष विवेचना की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के चौरवा हाल मुकाम कटरा निकट आईटीआई निवासिनी शमीम बानो उर्फ शमा खान ने तहसील समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित पत्र और शपथ पत्र देकर उनके विरूद्ध दिलशाद हसन द्वारा दर्ज कराये एफ. आई.आर की निष्पक्ष विवेचना की मांग किया है।

पत्र में शमीम बानो उर्फ शमा खान ने कहा है कि गत 8 फरवरी को कुछ लोगो से जानकारी प्राप्त हुई कि दिलशाद हसन द्वारा 15 जनवरी को वन बिहार एवं केन्द्रीय विद्यालय के मध्य की घटना दिखाकर 3 फरवरी को थाना वाल्टरगंज में धारा 126(2), 308(3), 351(2), 352 बी०एन० एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया है। जबकि उस दिन वह गनेशपुर चौरवा स्थित जमीन पर गयी थी अपने घर के सामने रास्ते पर अतिक्रमण देख डायल 112 पुलिस को सूचना दी ,पुलिस आयी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस चौकी गनेशपुर में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे को देखने के उपरान्त यह साबित हो जाएगा कि दिलशाद हसन द्वारा जान बूझकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया है। मांग किया कि मामले की जांच कराकर न्याय दिलाया जाय।

समाधान दिवस में 8 मामले निस्तारित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रुधौली में तहसील आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्सना एवं पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं की सुनवाई की गई। कार्यक्रम में फरियादी उपस्थित हुए और विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप तहसील दिवस आमजन को त्वरित न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 53 मामलें प्राप्त हुए, जिसमें से 08 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व विभाग 30, पुलिस 05, विकास 02, विद्युत 07, वन 01, पीडब्ल्यूडी, कृषि, समाज कल्याण एवं नगर पंचायत के 2–2 मामलें आये।

जिलाधिकारी ने शेष लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का नियमित अनुश्रवण किया जाए। गंभीर मामलों में मौके पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को निस्तारण की सूचना समय से उपलब्ध कराई जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हो।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी मनोज प्रकाश, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजीव निगम, डीडीओ अजय कुमार सिह, डीएसओ विमल कुमार शुक्ला, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार, जिला सेवा योजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा आदि उपस्थित रहे।

दबंगों ने होटल में खाना खाया, लगा दिया आग, पीड़ित ने एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रूधौली थाना क्षेत्र के कथकपुरवा निवासी अबुसमा पुत्र मो. अमीन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर होटल में जबरिया खाना खाने, धमकी देने, दुकान में आग लगा देने के मामले में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

एसपी को दिये पत्र में अबुसमा ने कहा है कि वह कथकपुरवा चौराहे पर वह पिछले 4 वर्षो से के. जी.एम. नाम से एक होटल चलाता है। गत 15 फरवरी को मोबाइल नम्बर 6393031096 से शाम को खाने के लिये फोन आया लेकिन फोन पर गाली गुप्ता बदतमीजी किया। उसके बाद लगभग 8.30 बजे रक्साकलॉ से चार लोग परबेज, मुसीर, मझौआ के शुभम एवं दानोकुईया के रिजवान अहमद आदि आये। होटल पर खाना खाया उसके बाद हाथापाई व गाली गुप्ता देने लगे। उसी में से एक ने कट्टा निकालकर धमकी दिया की हट जा नहीं तो जान से मार दूँगा और होटल में आग लगा दूँगा, कह कर चले गये। अबुसमा ने 112 पर घटना की सूचना दिया। पुलिस आई, पूछताछ किया, उसने लिखित तहरीर थाने पर दिया और होटल एवं जानमाल की सुरक्षा दोषियों खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग किया। 17 फरवरी की रात में लगभग 3.30 बजे के करीब दुकान में आग लगा दिया गया। इसकी भी सूचना 112 नम्बर पर दिया गया। इसके बाद रुधौली पुलिस ने अज्ञात लोगों के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जबकि उसने नाम के साथ तहरीर दिया था। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी भी नहीं किया। अबुसमा ने मामले में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की मांग किया है।

मानदेय वृद्धि पर शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर: मिठाई खिलाकर साझा किया खुशियां

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती। लम्बे संघर्ष, शहादत और संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार से बढाकर 18 हजार रूपये कर दिये जाने के निर्णय पर शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है। शनिवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शुक्ल के संयोजन में लोहिया मार्केट स्थित संगठन कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाईयां खिलाकर खुशियों को साझा किया।

शिक्षा मित्र संघ जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शुक्ल ने कहा कि बढती मंहगाई को देखते हुये 10 वर्ष बाद 8 हजार रूपये प्रति माह की वृद्धि पर्याप्त नहीं है किन्तु सरकार ने अपनी सोच बदली इसका स्वागत है। कहा कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक घोषित किये जाने की अपनी मांग पर डटे रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। मण्डल अध्यक्ष प्रवीन कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुये संभावना व्यक्त किया कि अति शीघ्र शिक्षा मित्रों की अन्य मांगों को स्वीकार किया जायेगा। जिला संगठन मंत्री संदीप कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। शिक्षा मित्रों को पेन्शन का भी लाभ दिया जायेगा।

मानदेय में 8 हजार रूपये की वृद्धि किये जाने के निर्णय पर खुशी व्यक्त करने वालों में जिला संरक्षक संजय यादव,धनंजय सिंह, सिराज अहमद, शिव कुमार चौधरी, श्रवण यादव, धर्मेन्द्र कुमार पाठक, प्रदीप चौधरी, भोला शुक्ल, रत्नेश चौधरी, रामेन्द्र श्रीवास्तव, राम प्रकाश वर्मा, राजेन्द्र श्रीवास्तव, राणा प्रताप सिंह, शिव शंकर साहू, राकेश उपाध्याय आदि शामिल रहे।

सेन्ट्रल एकेडमी में नए सत्र की तैयारियां तेज, 12 साल पढ़ाई पर 1 लाख तक स्कॉलरशिप की घोषणा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर सेंट्रल एकेडमी में तैयारियां जोरों पर हैं। विद्यालय प्रबंधक जे.पी. तिवारी और प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजनाओं की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली और निरंतर अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना है। स्कूल प्रशासन के अनुसार यदि कोई छात्र लगातार 10 वर्षों तक विद्यालय में अध्ययन करता है तो उसे 70,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। वहीं 12 वर्षों तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। खास बात यह है कि यह स्कॉलरशिप समय के साथ बढ़ती जाएगी, यानी महंगाई और समय की मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुए राशि में इजाफा किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधक जे.पी. तिवारी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल किताबी शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाना भी है। स्कूल के अनुसार शिक्षा के साथ–साथ संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रबंधन का मानना है कि यदि बच्चा संस्कारी है तो उसकी शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। इसी सोच के साथ विद्यालय में पढ़ाई के साथ व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।

प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। खेल–खेल में शिक्षा देने की पद्धति अपनाई गई है, जिससे बच्चे हंसते–खेलते नई चीजें सीख सकें। नर्सरी और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए विद्यालय में घर जैसा वातावरण तैयार किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि छोटे बच्चे शुरुआती दिनों में स्कूल आने से घबराते हैं, लेकिन शिक्षकों और स्टाफ के सहयोग से उन्हें अपनापन महसूस कराया जाता है। एक सप्ताह के भीतर ही बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल आने लगते हैं और कई बच्चे तो छुट्टी के बाद भी स्कूल में ही रुकने की इच्छा जताते हैं। बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय ने आधुनिक तकनीक को भी अपनाया है। डिजिटल क्लास और स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल में इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक की सुविधा उपलब्ध है, जहां बच्चे ड्रम, तबला और अन्य वाद्य यंत्र बजाना सीख सकते हैं। डांसिंग क्लास और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय का बड़ा प्लेग्राउंड विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ–साथ पारंपरिक खेल जैसे खो–खो और कबड्डी भी खिलाए जाते हैं। प्रबंधन का मानना है कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। बताया कि नवीन सत्र में छात्रों को एआई तकनीक की शिक्षा दी जायेगी।

प्रधानाचार्य ने बताया कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत भी विद्यालय ने विशेष पहल की है। यदि किसी परिवार में तीन बच्चे हैं तो एक बच्चे की फीस माफ की जाएगी और दो की फीस देनी होगी। चार या पांच बच्चों की स्थिति में एक बच्चे की फीस पूरी तरह माफ और एक की आधी फीस ली जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष रियायत का प्रावधान भी रखा गया है। यदि किसी अभिभावक को आर्थिक समस्या है तो विद्यालय प्रबंधन से बातचीत कर रियायत प्राप्त की जा सकती है। दूरदराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लगभग 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र से बच्चों को लाने–ले जाने की व्यवस्था की गई है। सभी स्कूल वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय का दावा है कि कम बजट में बेहतर सुविधाएं देकर हर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है।

बढनी मिश्र में गुरू वशिष्ठ मंदिर के साथ प्राण प्रतिष्ठा का मेरा संकल्प पूरा हुआ–रामभद्राचार्य

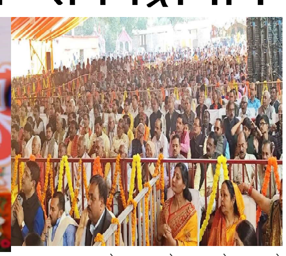

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

-संसार में सबसे बड़े धनवान गुरू वशिष्ठ है
-गुरू वशिष्ठ रामायण कथा में आध्यात्मिक गीतों की धूम

बस्ती। महर्षि वशिष्ठ आश्रम बढ़नी मिश्र में शनिवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने गुरू वशिष्ठ रामायण कथा के चौथे दिन अपने पैतृक गांव बढ़नी मिश्र में कथा को विस्तार देते हुये कहा कि उन्होने संकल्प लिया था कि बढनी मिश्र में गुरूवशिष्ठ का मंदिर बनेगा और मैं ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगा यह संकल्प पूरा हुआ।

श्रीराम, लक्ष्मण , भरत , शत्रुघ्न का बढनी मिश्र गांव में शिक्षा दीक्षा का विस्तार से वर्णन करते हुये रामभद्राचार्य ने कहा कि संसार में सबसे बड़े धनवान गुरू वशिष्ठ है, उन्होने श्रीराम, लक्ष्मण , भरत , शत्रुघ्न को शिक्षित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्य धन नाशवान है। बढनी मिश्र की धरती धन्य है जहां चारो भाईयों ने शिक्षा प्राप्त किया।

काल के प्रकार, सुख, दुःख के कारण आदि का वर्णन करते हुये जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राम की मंगलकारी कथा सुनना और राम के प्रताप को जानना हर्ष की बात की है. लेकिन राम चरित्र को सुनने हुए तृप्त नहीं होना चाहिए. इसके संबंध में तुलसीदाल जी लिखते हैं–

राम चरित जे सुनत अघाहीं।
रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं।।
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ।।

पादुका पूजन में मुख्य रूप मयंक पाण्डेय , सर्वजीत , रणजीत , ज्ञानेन्द्र पाण्डेय , संजय मिश्रा , विजय कुमार मिश्रा , डा. तुलिका त्रिपाठी माल्यार्पण करने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व जिलाधिकारी ओ.एन. सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्रा , मनोज मिश्रा , नितिन मिश्रा , रजनीश मिश्रा , एमपी दुबे , श्रीमती मीरा त्रिपाठी , श्रीमती संगीता पाण्डेय , रवि प्रकाश मिश्रा , विष्णु प्रकाश मिश्रा , अर्चना ओझा , निर्भय कुमार द्विवेदी मंगला प्रसाद मिश्रा शामिल रहे।

श्री तुलसी पीठ चित्रकूट धाम के उत्तराधिकारी आचार्य रामचन्द्र दास जी महाराज ने कथा आयोजक राना दिनेश प्रताप सिंह का उत्साहवर्धन करते हुए कहा की बढ़नी मिश्र में राना दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा जो वशिष्ठ रामायण कथा कराई जा रही है वह पूरे विश्व में जानी जाएगी।

मुख्य यजमान चन्द्र भूषण मिश्रा , नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष श्रीमती नीलम सिंह राना , पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी , पूर्व जिलाधिकारी ओ.एन. सिंह , महादेवा विधायक रवि सोनकर , भाजपा नेता वीरेंद्र मिश्रा, सत्य प्रकाश सिंह, गोपेश पाल, राम कमल सिंह , हरिशंकर पांडेय , वरिष्ठ अधिवक्ता भारत भूषण वर्मा , मोहंती दुबे , विपिन पाल , राजेश चित्रगुप्त , चित्रांश जिला अध्यक्ष शेषनारायण गुप्ता , कपिल देव सिंह मम्मू , सुखराम गौड़ , विकास मिश्रा, जगदीश पांडेय , राम प्रकाश पांडेय, कैलाश मोहन श्रीवास्तव , अतुल पाण्डेय मोनू के साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के कलाकार,शशिकांत दूबे ,प्रवीण सिंह ,साक्षी मिश्रा, लक्ष्मी यादव, कृषा निगम, महक,वसुधा सिंह ने बधावा लोक नृत्य के माध्यम से सभी वशिष्ठ धाम वासियों को । प्राण प्रतिष्ठा की बधावा बधाई दी ! प्रभा त्रिपाठी , प्रभा त्रिपाठी (भजन)कैसे ढुंढू मैं गुरुवर पता आपका, जिसे जपने से मिल जाये राम , तथा मोहिनी द्विवेदी ने,राम जी से पूछे, जनकपुर के नई लोगवा देते काहे गारी, बताई दे बबुआ श्याम बैरागी,लखनऊ ने राम सिया राम , धन्नुसिंह मुझे चढ़ गया भगवा रंग,रंग इस देश सब रह गए दंग दंग आदि के भक्ति रस भजनों से पूरा कथा पंडाल हर्षित हो गया, कार्यक्रम संयोजक दिनेश प्रताप सिंह ने सभी कलाकारों को गुरु जी के प्रतिमा का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान, तथा मनोबल बढ़ाया! सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का संचालन, सांस्कृतिक संध्या प्रभारी मास्टर शिव ने किया।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 22 फरवरी 2026 रविवार

सम्पादकीय

मुफ्तखोरी को फटकार

यह भारतीय लोकतंत्र की विडंबना ही कही जाएगी कि राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनाव जीतने का जरिया ही बना लिया है। मतदाताओं को चंद आर्थिक लाभ व सुविधाएं देकर मुफ्त की रेवड़ियों को सफलता का शॉर्टकट माना जाने लगा है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में आसन्न चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं की संस्कृति के वर्चस्व को देखते हुए देश की शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है। जिससे यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श में शामिल हो गया है। उल्लेखनीय है कि अगले दो–तीन महीनों में देश के चार प्रमुख राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि, लोकतंत्र की कल्याणकारी अवधारणा के चलते लोकहित में चलायी जाने वाली जनहितकारी योजनाएं शासन का अनिवार्य स्तंभ भी रही हैं। लेकिन लक्षित समर्थन और चुनाव पूर्व दिखायी जाने वाली अतिरेक उदारता के बीच अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। देश की शीर्ष अदालत ने इस बाबत चेतावनी दी है कि मुफ्त की योजनाओं का अनियंत्रित विस्तार राज्यों के राजकोषीय अनुशासन को कमजोर कर सकता है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि राजनेता मुफ्त की बिजली, मुफ्त बस यात्रा और नकद राशि बांटने की होड़ में शामिल हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोकलुभावनवाद के आगे राजकोषीय विवेक कमजोर पड़ रहा है।

निस्संदेह, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाबत तार्किक प्रश्न पूछा है कि राज्य मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिये बजट प्रस्ताव क्यों नहीं पेश करते? इसमें दो राय नहीं कि रोजगार के नये अवसर पैदा करना जन साधारण के सशक्तीकरण का एक स्थायी रूप है। जो लोगों को स्वावलंबी बनाता है। वहीं दूसरी ओर वोटरों को लुभाने के लिये सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा लगातार जारी की जा रही मुफ्त की योजनाएं लोगों को अकर्मण्य बना देती हैं। लोग परिश्रम से आर्थिक उपलब्धि हासिल करने के बजाय सरकारी सुविधा पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें। निस्संदेह,चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। निर्विवाद रूप से सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की सुनियोजित कोशिश विपक्षी दलों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से वंचित करती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब चाहे कोई बड़ा राजनीतिक दल इसमें शामिल क्यों न हो। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ लोकतंत्र के लिये जरूरी है कि देश का मतदाता परिपक्व व जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करके लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करे।

सड़क बनी सुविधा,टोल बना बाधा

–अखिल कुमार यादव–

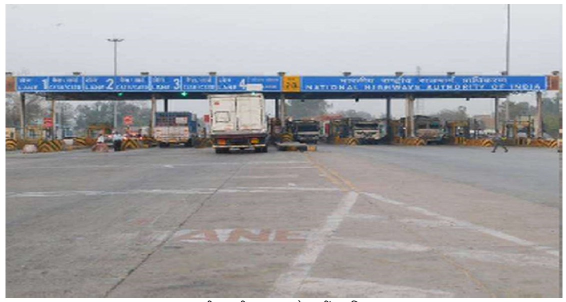

भारत में सड़कें केवल यातायात का साधन नहीं होतीं, वे जीवन, आजीविका और आपात स्थितियों की रीढ़ होती हैं। गाँव से शहर, खेत से मंडी, घर से अस्पताल और स्कूल से कार्यालयकृहर सफर इन्हीं सड़कों पर तय होता है। सरकारें इन्हें विकास का प्रतीक बताती हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर खड़ी टोल टैक्स की व्यवस्था आज आम नागरिक के लिए सुविधा से ज्यादा विरोधाभासों और अन्याय का प्रतीक बनती जा रही है। समस्या केवल पैसे की नहीं है, समस्या उस सोच की है जहाँ नीति का केंद्र इंसान नहीं, बल्कि वाहन और वसूली बन गई है।

टोल टैक्स की मूल अवधारणा यह थी कि सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएँ, विशेषकर उन वाहनों से जो सड़कों का व्यावसायिक उपयोग करते हैं। ट्रक, बसें और भारी कमर्शियल वाहन न केवल सड़कों को ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि उन्हीं सड़कों से मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन समय के साथ यह तर्क धुंधला पड़ गया और आज स्थिति यह है कि निजी उपयोग की गाड़ियाँ जो न सड़क से कमाई करती हैं, न ही भारी भार डालती हैं उन्हें भी उसी तराजू में तौला जा रहा है। यही से टोल नीति के विरोधाभास शुरू होते हैं।

सबसे गहरा और मानवीय विरोधाभास स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सामने आता है। नीति के अनुसार एंबुलेंस को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है, जो सिद्धांततः बिल्कुल सही है। लेकिन वास्तविक जीवन इससे कहीं अधिक जटिल है। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में एंबुलेंस की उपलब्धता सीमित है, कई बार समय पर एंबुलेंस नहीं मिलती या उसका खर्च वहन करना हर परिवार के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में मजबूरी में मरीज को निजी वाहन से बड़े शहरकृजैसे लखनऊकृले जाया जाता है। यहीं व्यवस्था का असली चेहरा सामने आता है। वही मरीज, वही आपात स्थिति, वही हाईवे लेकिन वाहन बदलते ही राहत खत्म हो जाती है। निजी वाहन में बैठे मरीज से हर टोल प्लाजा पर शुल्क लिया जाता है। यानी नीति यह मानकर चलती है कि आपातकालीन स्थिति मरीज की हालत से नहीं, बल्कि वाहन के प्रकार से तय होगी। यह विरोधाभास न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि जीवन के अधिकार पर सीधा सवाल खड़ा करता है।

इसी तरह दुर्घटनाओं के मामलों में भी तस्वीर अलग नहीं है। सड़क हादसे के बाद घायल को तुरंत अस्पताल पहुँचाना जीवन और मौत का सवाल होता है। अगर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है और कोई निजी वाहन उसे लेकर भागता है, तो टोल नियम उसके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। क्या नियम इंसानी जान से बड़े हो सकते हैं? यह प्रश्न नीति निर्माताओं से जवाब मांगता है।

एक और बड़ा विरोधाभास दोहरी वसूली का है। आम नागरिक जब वाहन खरीदता है, तो रोड टैक्स देता है। पेट्रोल–डीजल पर भारी कर देता है। जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से भी वह इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में योगदान करता है। इसके बावजूद, उसी सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। कमर्शियल वाहन इस लागत को अपने किराए और मुनाफे में जोड़ लेते हैं, लेकिन निजी वाहन चलाने वाला नागरिक यह बोझ सीधे अपनी जेब से देता है। सवाल यह है कि जब सड़क का भुगतान पहले ही टैक्स के रूप में हो चुका है, तो आम आदमी से बार–बार वसूली क्यों?

ग्रामीण भारत में यह विरोधाभास और तीखा हो जाता है। किसान जब अपनी उपज मंडी तक ले जाता है, तो वह कोई व्यापारिक सौदा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी मेहनत की फसल बेचने जा रहा होता है। मंडी के भाव वह तय नहीं करता, परिवहन लागत वह नियंत्रित नहीं करता। फिर भी रास्ते में लगने वाला टोल उसकी आय को सीधे कम करता है। वहीं बड़ा व्यापारी उसी सड़क का इस्तेमाल कर अपना मुनाफा बढ़ाता है और टोल की राशि उपभोक्ता पर डाल देता है। नीति का बोझ हमेशा कमजोर पर ही क्यों पड़ता है यह सवाल बार–बार उभरता है।

टोल नीति में समानता का दावा भी एक भ्रम जैसा लगता है। सांसद और विधायक टोल से मुक्त रहते हैं, जबकि आम नागरिक भुगतान करता है। लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान होने की बात कही जाती है, लेकिन सड़क पर यह समानता गायब हो जाती है। जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, वही जनता टोल की कतार में खड़ी है और उनके प्रतिनिधि बिना रुके निकल जाते हैं। यह दृश्य नीति से ज्यादा व्यवस्था की मानसिकता को उजागर करता है।

डिजिटल युग में थ्ोंज्ह को सुविधा के रूप में पेश किया गया, लेकिन यह भी अपने साथ नए विरोधाभास लेकर आया। पैसा कटने में एक सेकंड लगता है, लेकिन गलत कटौती की शिकायत सुलझाने में हफ्ते और महीने लग जाते हैं। आम नागरिक के पास न तो लंबी शिकायत प्रक्रिया से लड़ने का समय है, न ही संसाधन। डिजिटल व्यवस्था यहाँ सुविधा से ज्यादा एकतरफा शक्ति का रूप ले लेती है, जहाँ नागरिक उपभोक्ता नहीं बल्कि मजबूर भुगतानकर्ता बन जाता है।

स्थानीय निवासियों की समस्या भी कम गंभीर नहीं है। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोग रोजमर्रा के काम स्कूल, अस्पताल, बाजार, खेतकृके लिए उसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं और रोज टोल देते हैं। दूसरी ओर, कोई बाहरी यात्री कभी–कभार उसी सड़क से गुजरता है और उतना ही शुल्क देता है। नीति स्थानीय जरूरतों और मजबूरियों को पहचानने में असफल दिखाई देती है।

सबसे बड़ा प्रश्न टोल वसूली की समय–सीमा का है। नियम कहते हैं कि एक निश्चित अवधि में सड़क की लागत वसूल होने के बाद टोल हट जाना चाहिए। लेकिन व्यवहार में कई सड़कें वर्षों पहले अपनी लागत निकाल चुकी हैं, फिर भी टोल जारी है। कहीं–कहीं एक ही मार्ग पर कुछ किलोमीटर के अंतराल में कई टोल प्लाजा खड़े हैं। इससे यह संदेह गहराता है कि टोल अब रखरखाव का साधन नहीं, बल्कि स्थायी राजस्व और मुनाफे का मॉडल बन चुका है।

इन तमाम विरोधाभासों को जोड़कर देखें तो साफ होता है कि टोल टैक्स की मौजूदा व्यवस्था इंसान–केंद्रित नहीं, बल्कि वाहन और वसूली–केंद्रित है। नीति मरीज को नहीं, एंबुलेंस को पहचानती हैय किसान को नहीं, वाहन को देखती हैय नागरिक को नहीं, फास्टैग को महत्व देती है। यही वह बुनियादी समस्या है, जिसे बदले बिना कोई भी सुधार अधूरा रहेगा।

समाधान असंभव नहीं हैं। टोल टैक्स को केवल कमर्शियल गाड़ियों तक सीमित किया जा सकता है। निजी गाड़ियों के लिए सस्ती या निःशुल्क व्यवस्था लागू की जा सकती है। आपातकालीन स्थितियों में निजी वाहन से ले जाए जा रहे मरीजों के लिए भी टोल से राहत दी जा सकती है। स्थानीय निवासियों को स्वतः छूट और टोल की समय–सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सकता है। तकनीक का इस्तेमाल वसूली के लिए नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनाओं को प्राथमिकता देने के लिए होना चाहिए ।अंततः सवाल यही है कि सड़कें किसके लिए हैं जनता के लिए या वसूली के लिए? अगर विकास की सड़क पर चलते हुए आम आदमी हर मोड़ पर भुगतान और अपमान झेले, तो उस विकास की सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कमर्शियल गाड़ियाँ कमाती हैं वे टोल दें। आम नागरिक जीने, बचाने और पहुँचने के लिए सफर करता है उसे राहत मिलनी ही चाहिए।

तकनीक से मातृभाषाओं को बचाने की जरूरत

–उमेश चतुर्वेदी–

तकनीकी दौर में मातृभाषाएं सबसे ज्यादा संकट में हैं। इसकी वजह यह है कि मातृभाषाओं को बोलना भी तकनीक से प्रभावित हो रहा है और लेखन तो पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गया है। तकनीक की खासियत कहें या कमी, वह बाजार के लिहाज से खुद को विकसित करती है और अपने उत्पादों के लिए इसी नजरिए से शोध करती है। चूंकि मातृभाषाओं में कई ऐसी हैं, जिन्हें बोलने या जिनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बेहद कम है, इसलिए उनसे कमाई की संभावना कम है। चूंकि तकनीकी विकास में काफी धन लगता है, और मातृभाषाओं के एक हिस्से से कमाई की गुंजाइश नहीं दिखती, इसलिए तकनीक उनके सहज इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसलिए मातृभाषाओं की बड़ी संख्या लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत को ही देखिए। साल 1961 की जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से भारत में 1652 भाषाएं थीं। लेकिन सिर्फ दस साल बाद यानी 1971 में यह संख्या घटकर महज 808 रह गई। ऐसा बदलाव तब हुआ, जब तकनीक का बोलबाला नहीं था। लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। 2013 के भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण के अनुसार, विगत 50 वर्षों में 220 भाषाएँ जहां लुप्त हो गई हैं, वहीं 197 भाषाएँ खत्म होने की कगार पर हैं।

मातृभाषाओं के लुप्त होने की कई अन्य वजहें भी हैं। भाषाशास्त्रियों के मुताबिक, व्यक्तिवादी दर्शन, उपभोक्तावाद, सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों में आ रहे बदलाव, और शहरीकरण के साथ ही पारंपरिक मूल्यों के प्रति घटती निष्ठा और रोजगार के साधनों के रूप में भाषाओं की घटती संख्या भी मातृभाषाओं के खात्मे की वजह बना है। इसके बावजूद कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मातृभाषाओं को लेकर कुछ इलाकों में सम्मोहन बरकरार है। शायद यही वजह है कि इस बार के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए यूनेस्को ने जो थीम रखा है, वह बेहद अहम जान पड़ता है। यह थीम है, 'भाषाओं का महत्वरू रजत जयंती और सतत विकास'। इस थीम का ध्येय वाक्य 'अनेक भाषाएँ, एक भविष्य' है। पूर्वी बंगाल में 1952 में शहीद हुए भाषा आंदोलनकारियों की याद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की शुरूआत की पिछले साल यानी 2025 में रजत जयंती थी। तब यूनेस्को ने इस दिवस को भाषाई विविधता, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी शिक्षा के माध्यम से सतत विकास पर जोर देने पर केंद्रित किया था।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हर साल यूनेस्को किसी न किसी अहम विषय को ध्येय बनाता है और उस नजरिए से पूरे साल भाषाई विविधता को विकसित करने और उन्हें लागू करने पर जोर देता है। इस बार के ध्येय वाक्य से साफ है कि यूनेस्को चाहता है कि विश्व के सतत विकास में मातृभाषाओं की महत्ता को रेखांकित किया जाए। मातृभाषाएं एक तरह से भाषायी लोकतंत्र को रचती हैं। इस लोकतंत्र को बचाए बिना विविधरंगी संसार को नहीं बचाया जा सकता। सोचिए, अगर उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और तकनीकी वर्चस्व की वजह से एक रस और एक भाषायी संसार तैयार हो जाए तो दुनिया कितनी नीरस होगी, ज्ञान के तमाम स्रोत तब या तो सूख चुके होंगे या फिर भुला दिए गए होंगे। इसलिए मातृभाषाओं को बचाना और उन्हें सांस्कृतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जिंदा रखना जरूरी हो जाता है।

यूनेस्को की ओर से घोषित 'भाषाओं का महत्व दृ रजत जयंती और सतत विकास' विषय, एक तरह से भाषायी विविधता, बहुभाषावाद और सतत विकास के बीच गहरे संबंधों को ही रेखांकित करता है। चूंकि यूनेस्को ने मातृभाषाओं को संरक्षित करने, भाषायी विविधता को जिंदा रखने और उन पर रश्क करने के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है, इसलिए वह लगातार भाषाओं को बचाने का संदेश दे रहा है। दुनिया में इन संदेशों को सुना और समझा भी जा रहा है। चूंकि भाषाएँ सिर्फ संवाद का साधन ही नहीं होतीं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का अहम औजार भी हैं, लिहाजा प्राथमिक शिक्षा में उन पर जोर दिया जा रहा है। 2020 में आई भारत की नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषाओं में शिक्षा–विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। दुनियाभर के शिक्षाशास्त्री मानते हैं कि मातृभाषा आधारित शिक्षा समावेशी होती है और बच्चों की समझ को बेहतर बनाने में मददगार होती है। इतना ही नहीं, इसके चलते बच्चे की सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा के भी नतीजे बेहतर होते हैं। चूंकि सतत विकास में शिक्षा का स्थान अहम है और मातृभाषा आधारित शिक्षा बेहतरीन होती है, यही वजह है कि सतत विकास के लक्ष्यों को अब मातृभाषा के जरिए मिलने वाली शिक्षा में गंभीरता से खोजा जा रहा है। इसीलिए दुनिया एक बार फिर मातृभाषाओं के जरिए शिक्षा की ओर उन्मुख होती दिख रही है। जैसे–जैसे अधिकाधिक भाषाएँ विलुप्त होती जा रही हैं, भाषायी विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की 40 प्रतिशत आबादी को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिन्हें वे बोलते या समझते हैं। मातृभाषाओं का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि स्थानीय समाज उनके जरिए शिक्षा हासिल कर सकें।

मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक नींव की आधारशिला है। यह सोचने, समझने और संवाद करने का सबसे सहज माध्यम है, जो बच्चे को उसकी विरासत से जोड़ती है। मातृभाषा में शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है, संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं, और दूसरी भाषाएं सीखना आसान हो जाता है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे की अवधारणाओं को समझने की क्षमता तेज होती है और रचनात्मकता बढ़ती है। मातृभाषा संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का मुख्य माध्यम है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को मातृभाषा में सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है।

शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, जिन बच्चों की नींव मातृभाषा में मजबूत होती है, मातृभाषाओं से इतर भाषाओं में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। मातृभाषाएं परिवार और समुदाय से एक मजबूत भावनात्मक संबंधों की गारंटी भी होती हैं। दुनिया की हर मातृभाषा अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक है। इसी वजह से दुनियाभर के मानवशास्त्री मानते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भाषायी विविधता का संरक्षण जरूरी है। इतना ही नहीं, मातृभाषाएँ आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को भी बढ़ावा देती हैं, इस लिहाज से वे समावेशी समाज के निर्माण में भी सहायक मानी जाती हैं। मानवशास्त्रियों के अनुसार, स्थानीय भाषाएँ ज्ञान का खजाना हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसीलिए यूनेस्को का मानना है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाषायी विविधता और बहुभाषावाद का उपयोग सहयोगी हो सकता है। इससे विश्व स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि मातृभाषाओं को तकनीक के लिहाज से विकसित किया जाए। यह कार्य सार्वजनिक संस्थान और सरकारें ही कर सकती हैं।

कट्टर दक्षिणपंथ की तरफ खिसकती धुरी

–गुरूबचन जगत–

मानवता के लिए सदा से चुनौती रही है कि तकनीकी क्रांति को काबू में कैसे रखा जाए। चाहे वह संहारक अस्त्र–शस्त्र हों। इसमें लोकतांत्रिक संस्थानों की सकारात्मक भूमिका रही। अब ऐसे दौर में जब कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा की लहर है, दुनिया कुछ तानाशाह शासकों के रहमोकरम पर है।

मनुष्य के विकास क्रम में 'नियंत्रित आग' की क्षमता हासिल करना शायद सबसे अहम पलों में एक था, क्योंकि एक बड़े आकार का दिमाग होने एवं जटिल गणना करने की उसकी क्षमता के लिए ईंधन के रूप में जितनी मात्रा में कैलोरी की जरूरत होती है, वह पका हुआ भोजन मिलने से संभव हुआ (इंसानी दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा खर्च करता है)। ऐसा माना जाता है कि आग ने इंसानों की भोजन हजम करने वाली क्षमता बढ़ाने में मदद की, जिसके अभाव में अन्य जीव–जंतुओं के दिमाग छोटे रह गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैविक मानव–विज्ञान के प्रोफेसर रिचर्ड रैंगहम ने इसे 'कुकिंग हाइपोथिसिस' का नाम दिया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के जिन पूर्वजों ने 'नियंत्रणयुक्त आग' की सामर्थ्य विकसित की, वे न केवल अपने समय के बल्कि सर्वकालिक खोजकर्ताध्वैज्ञानिक गिने जाएंगे।

ऋग्वेद की सर्वप्रथम पंक्ति है 'अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवामृत्विजमद्द्, होतारं रत्नधातममद्द्' अर्थातद्द् 'अग्नि की मैं आराधना करता हूं, वह जो ईश्वर के सम्मुख प्रज्वलित है, देवता जो देखता है सत्य को, योद्धा, और है भरपूर आनंद प्रदाता'। यह अग्नि देव का आह्वान है, जिसमें उनकी स्तुति मनुष्य और दिव्य ऊर्जा के बीच माध्यम के रूप में की गई है। 'नियंत्रणयुक्त आग' और पके भोजन की बदौलत इंसान की सूझबूझ खोज एवं आविष्कार करने में तरक्की करती गई। हालांकि, मध्य युग के महान वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने जबरदस्त तरक्की की थी, तथापि बड़ी छलांग औद्योगिक क्रांति के समय लगी, जिसके दौरान इंसानी सूझबूझ एवं आविष्कारों की एक बड़ी लहर देखी गई। इसने पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक आंदोलनों को भी जन्म दिया। विज्ञान के साथ–साथ साहित्य भी फला–फूला।

लोकतांत्रिक शासन और संस्थानों के विकास के कारण औद्योगिक क्रांति के परिणाम अभी भी काफी हद तक मनुष्यता के नियंत्रण में थे। ये स्वभाव से उदार थीं, जब तक कि जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे राज्यों में तानाशाही का उदय नहीं हुआ, जिसने इन देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। हालांकि, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरदस्त जनसमर्थन के चलते लोकतंत्र कायम रहा। इस समय ने अगली बड़ी छलांग देखीकृ आण्विक ऊर्जा, जिसने सांस थामे बैठी दुनिया पर कहर बरपा दिया। सौभाग्य से, दुनिया में सहमति बनी और इस ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए संस्थान बनाए गए। परमाणु संपन्न शक्तियों ने संधियों पर हस्ताक्षर किए और उनपर अमल किया। अब तक तो हम कामयाब रहे हैं और इसका इस्तेमाल अधिकांशतः सकारात्मक तरीके से होता आया है। ऐसा हमारे लोकतंत्रों, उदारवादी सरकारों और संस्थानों की वजह से संभव हो पाया।

आज जब इंसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने में लगा है और चूंकि ये दोनों साथ मिल रहे हैं, ऐसे में 'सेंटिएंट' एआई (चेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की तगड़ी संभावना है। सैद्धांतिक तौर पर यह ऐसा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) है जो स्वयं सोच–विचार कर सके और अपने फैसले खुद ले सके।

संस्कृत और संस्कृति विकसित भारत का आधार, स्वावलंबन और स्वदेशी विकास में संस्कृत बनेगा स्तंभ – शशांक मणि

संवाददाता–देवरिया। संस्कृत विकास परिषद ने पंडित सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की स्मृति में देवारण्य संस्कृत समागम का आयोजन किया। बरपार गांव स्थित जेईसीपी के बरगद सभागार में शनिवार को हुए इस कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति, स्वावलंबन और स्वदेशी आधारित विकसित भारत के निर्माण का मूल आधार बताया।

कार्यक्रम के संरक्षक शशांक मणि ने चर्चा के लिए तीन प्रमुख बिंदु रखे। उन्होंने देवरिया–कुशीनगर को देश में संस्कृत का अग्रणी केंद्र बनाने, संस्कृत के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने तथा स्वावलंबन व स्वदेशी की भावना के साथ विकसित भारत व देवरिया के संकल्प में संस्कृत के योगदान पर ठोस कार्ययोजना बनाने का आह्वान किया।

मुख्य अतिथि रमेश अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना और ज्ञान परंपरा की वाहक है। उन्होंने बताया कि वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने भारतीय सभ्यता को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई है, और संस्कृत आज भी विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने में सक्षम है।

विशिष्ट अतिथि कौशलेंद्र दास ने कहा कि देवरिया से शुरू हुआ यह सांस्कृतिक अभियान पूरे देश में विस्तार पाएगा। उन्होंने जोर दिया कि संस्कृत राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत करने की क्षमता रखती है।

समागम में परिषद द्वारा तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन, देवरही माता मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना (जिसमें क्षेत्रीय पांडुलिपियों और धरोहरों का संरक्षण होगा) तथा स्व. पं. सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की स्मृति में बैतालपुर से बलटिकरा मार्ग का नामकरण व उनकी एवं उनकी धर्मपत्नी की प्रतिमा स्थापना का प्रयास शामिल हैं।

इस समारोह में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संस्कृत के प्रचार–प्रसार और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया।

भाजपाइयों ने राहुल गांधी का फूंका पुतला

संवाददाता–गोंडा। जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका है और भाजपाइयों ने राहुल गांधी पर भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि धूमिल करने और राष्ट्र विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाया। यह प्रदर्शन लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के पास किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में आरोप लगाया गया कि दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। भाजपा का मानना है कि यह कृत्य भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब करने का प्रयास था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत को लेकर राष्ट्र विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं और देश के अच्छे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पांच सूत्रीय ज्ञापन भेजा। दीपक गुप्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने यह झूठ फैलाया कि भारतीय डेटा बेचा जा रहा है और चीनी उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी गलती थी, जिसे तुरंत सुधार लिया गया।

अब सरकारी स्कूलों में गूंजेगी हैप्पी बर्थडे की धुन बच्चों की थाली में सजेगा आपकी खुशियों का स्वाद

–अनुज शुक्ला–

–गुणवत्ता व स्वच्छता का रखना होगा विशेष ध्यान
– किसी भी प्रकार के धन संग्रह पर प्रतिबंध
–एसएमसी को पहले देनी होगी सूचना, अभिलेख में दर्ज होगा विवरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

महराजगंज। परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील अब सिर्फ सरकारी योजना नहीं, लोगों की खुशियों से भी जुड़ने जा रहा है। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि या किसी भी खास मौके पर अब आम नागरिक नजदीकी प्राथमिकध्उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अपनी पसंद का विशेष भोजन खिलाकर दिन को यादगार बना सकेंगे। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने पीएम पोषण (मिड.डे मील) योजना के तहत संचालित तिथि भोजन सम्मान कार्यक्रम की विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दी है। जिससे समुदाय की भागीदारी से बच्चों की थाली व पोषण दोनों बढ़ाए जा सकें।

तिथि भोजन के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी जन्मतिथि, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि या किसी अन्य शुभ अवसर पर विद्यालय में बच्चों को भोजन कराना चाहता है, तो उसे कम से कम एक दिन पहले संबंधित स्कूल प्रशासन को सूचना देनी होगी। इससे स्कूल को समय रहते मेन्यू तैयार करने, सामग्री की व्यवस्था व पोषण मानक का पालन करने का मौका मिलेगा। भोजन विद्यालय परिसर में ही तैयार या परोसा जाएगा व उसमें पीएम पोषण योजना के तय पोषण मानक व मेन्यू का पालन अनिवार्य होगा।

योजना के मुताबिक भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भोजन ताजा, पौष्टिक, स्वस्थ व बच्चों के खाने की आदतों के अनुरूप होना चाहिए। इसमें अनाज, दाल, सब्जी व मौसमी फल जैसे तत्व शामिल रखे जाएंगे। किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बच्चों को एक ही मानक पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

तिथि भोजन के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक या धार्मिक गतिविधि, प्रचारदृप्रसार या नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम को बिल्कुल गैर राजनीतिक व गैर धार्मिक रखा जाएगा, ताकि यह सिर्फ बच्चों के हित और समाजसेवा से जुड़ा रहे। साथ ही भोजन के नाम पर किसी भी प्रकार का धन संग्रह, दान या चंदा भी प्रतिबंधित रहेगा, ताकि यह पूरी तरह स्वैच्छिक और निस्वार्थ रहे।

विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) को तिथि भोजन की पूर्व सूचना देना होगा। कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण अभिलेखों में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इस रजिस्टर में दाता का नाम–पता, तिथि, भोजन का प्रकारदृमात्रा व अनुमानित लागत जैसी जानकारी दर्ज होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। शासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी स्तर पर गुणवत्ता, स्वच्छता, पोषण मानक या निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीएसए रिद्धी पांडेय ने इस पहल को बच्चों व समाज के बीच भावनात्मक जुड़ाव का नया जरिया बताया। कहा कि तिथि भोजन योजना से न केवल बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक भोजन मिलेगा, बल्कि समुदाय की ओर से उन्हें अपनापन और स्नेह का एहसास भी होगा। हम चाहते हैं कि लोग अपने खास मौकों को समाज सेवा से जोड़ें और स्कूलों के साथ लोक भागीदारी की नई परंपरा बने। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा ताकि गुणवत्ता, स्वच्छता व पारदर्शिता पर कोई समझौता न हो। यह योजना बच्चों के पोषण व समाज की जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। इस योजना के तहत अब लोग बिना बड़ी औपचारिकता के सीधे स्कूल से जुड़ सकेंगे। अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी विशेष अवसर को समाज सेवा के साथ जोड़ सकेंगे। इस पहल से बच्चे भी समाज की ओर से मिलने वाले स्नेह और अपनापन को महसूस करेंगे।

तहसील समाधान दिवस में आठ मामलों का निस्तारण

संवाददाता–श्रावस्ती। सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान तीनों तहसील में कुल 27 शिकायतें आई। जिनमें से आठ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जमुनहा में आयोजित जिलास्तरीय तहसील समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम अश्विनी कुमार पांडेय व एसपी राहुल भाटी ने किया। यहां आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 10 प्रार्थना पत्र मिले। जिसमें से मौके पर ही चार शिकायतों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को समय सीमा के अंदर निस्तारण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। इसी तरह से भिनगा में 11 शिकायतें मिलीं जिसमें तीन शिकायतों का निस्तारण किया गया।

वहीं तहसील इकौना में कुल छह शिकायतें मिलीं जिनमें से मौके पर एक शिकायत का निस्तारण किया गया। जमुनहा समाधान दिवस में एसडीएम एसके राय, सीएमओ डा एके सिंह, एलडीएम जुगल किशोर, सीओ, अधिशासी अभियंता विद्युत व बीडीओ सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व फरियादी मौजूद रहे।

झोलाछाप ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास, लोगों ने पकड़कर बांधा

संवाददाता–कुशीनगर। जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर साड़ी से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को पकड़ कर बांधे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। हालांकि, भारतीय वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यह घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। महिला अपने 10 और 5 वर्ष के दो बच्चों के साथ घर में सो रही थी। आरोप है कि गांव का झोलाछाप दिनेश मद्धेशिया पीछे के दरवाजे से घर में घुस गया और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला और बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोपी को भागने से रोकने के लिए साड़ी से बांध दिया। करीब एक घंटे तक गांव में हंगामा होता रहा और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर जमा हो गईं। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता के अनुसार, आरोपी पहले भी कई बार गलत इरादे से घर में घुस चुका था। करीब तीन–चार साल पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, लेकिन तब समझौता हो गया था। महिला ने बताया कि आरोपी की दो पत्नियां और छह बच्चे हैं और वह इलाके में झोलाछाप डॉक्टरी करता है। ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

दर्शन भवन मंदिर से गाजे–बाजे के साथ निकली शोभायात्रा, मां सरयू को अर्पित किया चुनरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। सिद्ध एवं प्राचीनतम पीठों में शुमार दर्शन भवन मंदिर से श्री जानकी जीवन सरकार के 18वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को गाजे–बाजे, हाथी–घोड़ों और आकर्षक झांकियों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। पीठाधीश्वर महंत डॉ. ममता शास्त्री के संयोजन में निकली इस शोभायात्रा ने नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।शोभायात्रा श्री राम पथ से गुजरते हुए पावन सरयू तट पहुंची, जहां मोक्षदायिनी मां सरयू की विधिवत आरती उतारी गई और चुनरी अर्पित की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन–अर्चन संपन्न हुआ। इसके पश्चात शोभायात्रा पुनः दर्शन भवन आश्रम लौटी, जहां विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई।

मार्गों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। डमरू वादन और मोर पंख धारण किए कलाकारों के मनोहारी नृत्य ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाहर से आए श्रद्धालु भी आयोजन की भव्यता देख भावविभोर नजर आए।शाम के सत्र में श्री जानकी जीवन सरकार फूल बंगले में विराजमान हुए। इस अवसर पर फूलों की होली खेली गई और शास्त्रीय संगीत की मधुर प्रस्तुतियों ने भक्तिमय वातावरण को और भी सजीव बना दिया।22 फरवरी को प्रातः श्री नर्मदेश्वर भगवान शंकर के रुद्राभिषेक से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रातः 10 बजे श्री विश्वनाथ गौ सेवा दर्शन मंदिर में गौ माता का विशेष पूजन एवं आरती की जाएगी। इसके उपरांत 11 बजे ठाकुर श्री जानकी जीवन सरकार के दरबार में छप्पन भोग अर्पित कर जेवनार एवं संतों का वृहद भंडारा आयोजित होगा।

डॉ. ममता शास्त्री ने बताया कि यह समस्त आयोजन अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी महंत विश्वनाथ दास शास्त्री गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम का समापन नर्मदेश्वर भगवान के पूजन और जेवनार गायन के साथ होगा। उन्होंने बताया कि मां सरयू की चुनरी जयपुर में विशेष रूप से तैयार करवाई गई है। रविवार को ठाकुर जी को छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा जिसका प्रसाद अयोध्या के साधु, संत, आश्रम से जुड़े नेमी प्रेमी पाएंगे।कार्यक्रम में शुकदेव दास, विजय कुमार, अशोक कुमार मिश्र (एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट), राघवजी, अनन्या, वैदेही बाबू, शाश्वत बाबू सहित देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े श्रद्धालु उपस्थित होकर उत्सव में सहभागिता कर रहे हैं।

वाल्मीकि रामायण में वर्णित प्रसंग आज भी जनमानस के हृदय को आलोकित करते हैं– जगतगुरु

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या धाम। नवनिर्मित देवस्थान श्रीरामायणवेला में प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित वाल्मीकि रामायण कथा के दौरान जगद्गुरु रत्नेशप्रपन्नाचार्य ने कहा कि अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान का मानव रूप में अवतरण केवल एक जन्म नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और प्रेम का पुनः अवतरण था। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित प्रसंग आज भी जनमानस के हृदय को आलोकित करते हैं।उन्होंने कहा कि 'अवतार' शब्द जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़ है। जब धर्म की धारा क्षीण होती है, तब ईश्वर स्वयं साकार रूप में अवतरित होकर आचरण के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। अनंत, स्वयं को सीमित कर मानव रूप में समाज के बीच चलता है और जीवन मूल्यों की स्थापना करता है। कथा के दौरान उन्होंने भगवान राम के प्राकट्य प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि कौशल्या नंदन के जन्म के साथ ही करुणा का सागर उमड़ पड़ा। दिशाएं मंगलमय हो उठीं और जन–जन के अंतःकरण में शांति का संचार हुआ। बालक राम की प्रथम किलकारी वेदों की नवध्वनि के समान थी।जगद्गुरु ने कहा कि बाल्यकाल से ही राम की सरलता और मर्यादा अद्वितीय थी। भ्राताओं के साथ क्रीड़ा करते समय भी उनके आचरण में स्नेह और समता का भाव स्पष्ट झलकता था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उनकी विनम्र उपस्थिति यह संदेश देती है कि ईश्वर भी जब मानव रूप में आते हैं तो अनुशासन और ज्ञान के पथ का अनुसरण कर समाज को आदर्श प्रदान करते हैं।उन्होंने कहा कि राम की बाल लीलाएं केवल भाव–विभोर करने वाली कथा नहीं, बल्कि जीवन संस्कारों का प्रथम अध्याय हैं।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्आलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान ग्राम न्यायालय रूधौली बस्ती जिला बस्ती
वाद सं0– 223/2018
प्रदीप कुमार आदि
बनाम
संगम आदि

1/1 श्रीमती कल्पा बालिग विधवा संगम साकिन रमवापुर तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 25–02–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 25 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
सिविल अपील सं0–23/2024
अदालत– श्रीमान द्वितीय अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
लाले आदि
बनाम
रामनरेश आदि

1/2 विष्णुनरायन 1/3 दीप नरायन 1/4 बद्री नरायन पुत्रगण स्व0 रामनरेश निवासीगण लवनापार तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 2/1 प्रताप नरायन 2/2 ज्योति नरायन 2/3 शेष नरायन 2/4 प्रदीप नरायन पुत्रगण स्व0 रामशंकर –रेस्पान्डेटियान प्रथम वर्ग /प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
4/1 रामदरस पुत्र नामालूम ग्राम बहेरिया तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती –रेस्पान्डेटियान द्वितीय वर्ग /प्रतिवादी प्रथम वर्ग

तारीख पेशी 22–02–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 22 महीना 02 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
सिविल रिवीजन सं0–91/2025
अदालत– श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मंदिर लक्ष्मी नरायण बाबा बसंतदास उदासीन सर्वराकार महंथ पण्डित जनार्दन प्रसाद शुक्ल
बनाम
धर्मदास कथित चेला ध्यान प्रकाश आदि

1. धर्मदास कथित चेला ध्यान प्रकाश उदासीन मंदिर गोलाघर अयोध्या उम्र 40 साल स्थान अयोध्या जिला अयोध्या हाल मुकाम नई बाजार बाबा बसंतरामदास मंदिर वार्ड नं–2 जिला बस्ती 2. विष्णुदास उर्फ राजेन्द्र सिंह चेला वीरान दास साकिन भरवलिया तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरब पोस्ट देवरांव कला तहसील व जिला बस्ती 3. पंचम दास निवासी स्थान उदासीन मंदिर नई बाजार वार्ड नं–2 बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती पोस्ट आफिस पुरानी बस्ती

तारीख पेशी 27–02–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 27 महीना 02 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्आलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला बस्ती
वाद सं0– 344/88
श्रीमती पानमती
बनाम
रामलाल आदि

8/1 सुभावती उम्र करीब 55 वर्ष पत्नी स्व0 सुभाष 8/2 अजीत कुमार उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र स्व0 सुभाष 8/3 सुजीत कुमार उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र स्व0 सुभाष 17/1 शोभा देवी उम्र करीब 62 वर्ष पत्नी स्व0 रामशब्द 17/2 विजय कुमार उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र स्व0 रामशब्द 19/1 सुखना उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी स्व0 योगेन्द्र 19/2 मुकेश कुमार उम्र 23 वर्ष 19/3 अमन कुमार उम्र 20 वर्ष 19/4 अतुल उम्र 18 वर्ष पुत्रगण स्व0 योगेन्द समस्त निवासीगण ग्राम कुसमैनी पोस्ट अहरा मुण्डेरवा तप्पा रामपुर पैली परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर

तारीख पेशी 27–02–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 27 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
पुनरीक्षण सं0 31/2024
जगराम आदि
बनाम
वंश बहादुर आदि

1– वंश बहादुर उम्र 60 वर्ष 2– कृष्ण मोहन उम्र 55 वर्ष 3– शिवशंकर उम्र 52 वर्ष पुत्रगण– श्यामलाल
विपक्षीगण प्रथम वर्ग
4– भगत उम्र 37 वर्ष 5– बलवन्त उम्र 35 वर्ष पुत्रगण झिनकान 6– राजेन्द्र उम्र 25 वर्ष पुत्र हरीराम 7– रामजी उम्र 54 वर्ष पुत्र बिरजा 8 रामचन्द मृतक दौरान मुकदमा उम्र 55 वर्ष पुत्र महादेव 9/1– श्रीमती मालती उम्र 56 साल विधवा पत्नी सोमई 9/2– इन्द्रजी उम्र लगभग 17 साल 9/3– मनजीत उम्र लगभग 15 साल नाबालिगान द्वारा संरक्षिका श्रीमती मालती माता हकीकी 9/4– किरन उर्फ डब्बू उम्र लगभग 38 साल 9/5– मंजू उम्र लगभग 36 साल 9/6– संजू उम्र लगभग 34 साल 9/7– अंजू उम्र लगभग 32 साल पुत्रीगण–सोमई 10– राम अचल उम्र 55 वर्ष 11– परशुराम उम्र 45 वर्ष पुत्रगण– राम आसरे 12– राजेश उम्र 20 वर्ष 13– रामवृक्ष उम्र 18 वर्ष पुत्रगण यमुना 14 बुलबुला मृतक दौरान मुकदमा उम्र 70 वर्ष पत्नी जगई पुत्री राम अधारे 14/1 हृदय लाल आयु लगभग 50 वर्ष 14/2– पदुम लाल आयु लगभग 48 वर्ष 14/3– नन्दलाल आयु लगभग 45 वर्ष 14/4– ललित आयु लगभग 42 वर्ष 14/5– राम प्रकाश आयु लगभग 4० वर्ष 14/6 – राम जनक आयु लगभग 48 वर्ष 14/7– रामू आयु लगभग 35 वर्ष पुत्रगण जगई समस्त निवासीगण ग्राम कोड़रा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती 15– रामबहादुर उम्र 46 वर्ष 16– जयराम उम्र 31 वर्ष 17– सन्तराम उम्र 50 वर्ष 18– झिनकान उम्र 30 वर्ष पुत्रगण– कामता समस्त निवासीगण ग्राम कोड़रा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती। –विपक्षीगण द्वितीय वर्ग

19– उप जिला मजिस्ट्रेट भानपुर, जनपद बस्ती 20– तहसीलदार भानपुर, जनपद बस्ती 21– सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर बस्ती 22– गांव पंचायत बहरामपुर द्वारा प्रधान साबिया उर्फ सतिया ग्राम कोड़रा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती।

– विपक्षीगण तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 19–03–2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 03 के 19 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी। – द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला बस्ती
सिविल अपील सं0– 37/2022
रामजी
बनाम
बेलावती आदि

1. बेलावती पत्नी रामपलट 2. द्रौपदी देवी पत्नी लोरिक साकिनान मौजा बढ़या तप्पा व तहसील मेंहदावल परगना मगहर पूरव जनपद संतकबीर नगर 3. श्रीमती मुराती पत्नी रामानन्द साकिन मौजा बढ़या तप्पा व तहसील मेंहदावल परगना मगहर पूरव जनपद संतकबीर नगर वर्तमान पता मरवटिया कला तहसील व तप्पा मेंहदावल परगना मगहर पूरव जनपद संतकबीर नगर

तारीख पेशी 13–03–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद
सं0–T 202517140319377/2025
अदालत– श्रीमान अतिरिक्त अधिकारी प्रथम महोदय बस्ती जिला–बस्ती
रामसांवर आदि
बनाम
चन्द्रवली आदि

1. चन्द्रवली 2. राजवली 3. सूर्यवली पुत्रगण रामनयन 4. श्रीमती गुजराती विधवा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 5. विनोद पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद 6. निरमल 7. लालमन 8. रामदीन 9. विरवल 10. रामचरन पुत्रगण राज कुमार 11. राममूरत पुत्र रामहरख 12. रामवदन 13. लालता पुत्रगण तीरथ 14. श्रीमती रब्बी उर्फ अर्शफी देवी पत्नी रामशंकर 15. रामफल 16. जर्नादन पुत्रगण रामशंकर 17. रामनरायन 18. रामसगर 19. राम अशीष 20. राममोहन पुत्रगण रामदुलारे 21. कन्हैया 22. सिकन्दर 23. जितेन्द्र पुत्रगण रामवेलास 24. श्रीमती वविता पत्नी अम्बिका 25. सचिन 26. शनीकुमार पुत्रगण अम्बिका 27. हनी पुत्र नगेन्द्र 28. विनय 29. विनोद पुत्रगण रामकलेश 30. श्रीमती सुभावती पत्नी रामनेवास 31. मनजोता 32. मीनाक्षी पुत्रीगण रामनेवास 33. श्रीमती कलावती पत्नी जगत 34. रामरक्षा 35. रामरेखा 36. रामकेश पुत्रगण रामजगत 37. वालकेश 38. चन्द्रकेश 39. लवकुश 40. रिषिकेश पुत्रगण रामजगत 41. रामसकल 42. रामसदन पुत्रगण श्यामराज 43. बेचू पुत्र रामराज 44. सोनू 45. मोनू पुत्रगण जोखू निवासीगण ग्राम छिबरा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 46. ग्राम पंचायत छिबरा द्वारा प्रधान बाबूराम निवासी ग्राम छिबरा तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 27–02–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 27 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 19 माह 02 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

मुख्यमंत्री ने 1610 किसानों को 30.99 करोड़ की दी सौगात

संवाददाता—गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को होली के त्योहार के पूर्व जनपद के 1610 किसानों को 30.99 करोड़ रुपये की सौगात दी। किसानों और उनके परिजनों के खाते में धनराशि भेजे जाने का सिलिसला शनिवार से शुरू हो गया। विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ—2025) एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि वितरण का सजीव प्रसारण लाभार्थी किसानों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों ने देखा। गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 534 लाभार्थियों को 25.41 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत एवं वितरण शुरू हुआ। वहीं, आपदा प्रबंधन योजना (राजस्व विभाग) के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को राहत सहायता प्रदान की गई है। जनपद की विभिन्न तहसीलों में 1051 लाभार्थी को 5,48,58,403 की राहत धनराशि स्वीकृत—वितरित की गई। इन लाभार्थियों में जनहानि के 115 लाभार्थी, पशुहानि के 96 लाभार्थी, मकान क्षति के 163 लाभार्थी, बर्तन—कपड़ा राशन के 44 लाभार्थी, कृषि निवेश(नदी कटान) के 630 लाभार्थी और घायल के 3 लाभार्थी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ—2025) के अंतर्गत तहत जनपद के 25 कृषकों को डीबीटी के माध्यम से 7,83,529.51 की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया। उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह ने बताया कि शेष प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही प्रगति पर है। पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह ने कार्यक्रम में समापन पर सभी आभार व्यक्त किया। किसानों से अपील किया कि सभी पात्र कृषक पीएम फसल बीमा कराकर समय से बीमा प्रीमियम जमा करके योजना का लाभ अवश्य लें। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित प्रत्येक पात्र कृषक को शासनादेश के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे कृषकों को आर्थिक संबल प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य विकास अधिकारी—जिला विकास अधिकारी सतीश सिंह, उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी रामदरश वर्मा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी अमरेन्द्र राय, तहसीलदार सदर ज्ञान प्रकाश, कृषि विज्ञान केंद्र, बेलीपार के वैज्ञानिक एस के सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वर्चुअनल संबोधित किया।

शादी समारोह से लौट रही मासूम से दुष्कर्म, हालत गंभीर

संवाददाता—गोरखपुर। जंगल कौड़िया के मेंहदरिया गांव में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शादी समारोह के दौरान करीब 6—7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 18 वर्षीय युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में आयोजित विवाह समारोह में जयमाला कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान गांव का एक युवक मासूम बच्ची को बहला—फुसलाकर शादी स्थल से लगभग 150 मीटर दूर एक पुराने मकान के पास सुनसान स्थान पर ले गया। आरोप है कि वहीं उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद बच्ची बेहोश हो गई और आरोपी उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

बताया जाता है कि रात करीब 1:30 बजे तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। शादी समारोह में लगे ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक युवक बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दिया। उसी दिशा में तलाश करने पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। करीब ढाई घंटे बाद उसे होश आया। उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शनिवार सुबह मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की। पीड़िता को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थानाप्रभारी के अनुसार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया शनिवार की भोर में करीब तीन बजे सूचना मिली कि मेंहदरिया गांव में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पीड़ित को उसके परिजन के साथ जिला अस्पताल भेजा गया। आस पास के लोगों द्वारा मिली सूचना और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी अशोक निषाद पुत्र बृज बिहारी निषाद निवासी मेंहदरिया थाना पीपीगंज को हिरासत में ले लिया गया। पीड़िता के बाबा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

दस वर्ष पहले हत्या के प्रकरण में माफिया पूर्व ब्लाक प्रमुख अजय सिपाही समेत तीन दोषी

संवाददाता—अंबेडकरनगर। हत्या के बाद शव को दूसरे स्थान पर फेंकने के प्रकरण में तीन आरोपियों पर दोष तय कर दिया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामविलास सिंह ने हत्या के मामले में कटेहरी के पूर्व ब्लाक प्रमुख माफिया अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही समेत तीन पर दोष सिद्ध किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 फरवरी की तिथि नियत की गई है। न्यायालय पर सत्र परीक्षण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाष चंद्र यादव ने गवाहों को न्यायालय पर परीक्षित कराते हुए सजा देने का तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित मुलायम यादव, अजय यादव व अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही पर हत्या समेत अन्य आरोपों में दोष सिद्ध करते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 फरवरी को होगी। आरोपित गिरेंद्र कुमार पांडेय को दोषमुक्त कर दिया गया। सुलतानपुर जिले के दोस्तपुर थाना के किशनागरपुर गांव के मंशाराम यादव के घर 23 मार्च 2016 को गांव के ही मुलायम यादव व अजय कुमार यादव गये थे। इसके बाद महरुआ दुकान पर चलने की बात कहकर चले गए। वह देर तक घर नहीं पहुंचा तो स्वजन खोजबीन करने लगे। पता चला कि यह लोग लोकनाथपुर गांव दावत में गए है। खोजबीन पर पता चला वहां गोली चलने की आवाज सुनी गई। लोग किसी को घायलावस्था में अस्पताल ले गए, लेकिन उसका पता नहीं चला। दूसरे दिन स्वजन को सुलतानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना के भेवापर माइनर के पास शव मिलने की सूचना मिली। स्वजन के पहुंचने पर शव की पहचान मंशाराम के रूप में हुई थी। मृतक की चाची चंद्रावती ने जयसिंहपुर थाने में मुलायम यादव, अजय यादव के विरुद्ध तहरीर देकर मारकर फेंकने का आरोप लगाया।

एक अन्य तहरीर ओमप्रकाश यादव ने पुलिस उपमहानिरीक्षक फैजाबाद (अयोध्या) को दी कि बहन के लड़के मंशाराम यादव के साथ मुलायम यादव, अजय यादव व ब्लाक प्रमुख कटेहरी अजय प्रताप सिंह हमेशा रहते थे। 23 मार्च 2016 को उसके घर अजय व मुलायम यादव आये और कहे अजय प्रताप सिंह के यहां दावत पर चलना है। वह गया तो वापस नहीं आया। दूसरे दिन उसका शव मिला। जानकारी पर पता चला कि उसके भांजे मंशाराम की ब्लाक प्रमुख के नवनिर्मित घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी। शव को कपड़े में लपेट कर गाड़ी की डिग्गी में रखकर सुलतानपुर में फेंका गया। मुलायम यादव, अजय, अजय प्रताप सिंह, विजय प्रताप सिंह, रवींद्र पांडेय, विजय प्रताप सिंह व गिरेंद्र पांडेय ने साजिश के तहत हत्या करके फेंक दिया है। मामला महरुआ थाना से संबंधित होने के कारण सुलतानपुर जिले से महरुआ थाना क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने मुलायम यादव, अजय कुमार यादव, महरुआ के खड़हरा गांव के गिरेंद्र कुमार पांडेय व अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही के विरुद्ध हत्या समेत अन्य आरोपों में आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया।

आने वाले समय में एआई बनने जा रहा सबसे बड़ा सेक्टर —कीर्तिवर्धन सिंह

संवाददाता—अयोध्या। वाल्मीकि एयरपोर्ट पर शनिवार को केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह उतरे। यहां से वह अपने गृह जनपद गोंडा के लिए रवाना हुए। इससे पहले एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने हाल ही में आयोजित एआई समिट को देश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में सबसे बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है। भारत के युवा पहले ही कंप्यूटर व आईटी क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं। इस समिट से करोड़ों डॉलर के निवेश की संभावनाएं बनी हैं। कई विदेशी कंपनियों ने कमिटमेंट दिया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दूरदर्शी बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार एआई के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने और इसके नकारात्मक पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नीति निर्माण पर काम कर रही है। एआई समिट के दौरान विपक्ष के विरोध पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे देश को बदनाम करने की साजिश बताया।

विदेश नीति पर उन्होंने कहा कि भारत ने नए अंतरराष्ट्रीय रिश्ते स्थापित किए हैं। अयोध्या का वैश्विक महत्व तेजी से बढ़ा है। गुयाना के उपराष्ट्रपति के अयोध्या आगमन को उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण बताया। यूएस डील पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि इस समझौते से किसानों, युवाओं और रक्षा क्षेत्र को नई तकनीक मिलती।

दो गुटों में बवाल, खुलेआम पत्थरबाजी और तोड़फोड, इलाके में मचा हड़कंप

संवाददाता—गोरखपुर। जिले के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दुल्हन मैरेज हाउस के पास हुई इस घटना में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। करीब दस मिनट तक चले इस हंगामे से स्थानीय लोग दहशत में आ गए और कई दुकानदारों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूद्रपुर और अंधियारीबाग क्षेत्र के युवकों के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चला आ रहा है। दोनों गुट अक्सर आमने—सामने होने पर बहस और झड़प करते रहे हैं। शनिवार को भी किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक टकराव में बदल गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के 10 से अधिक युवक अचानक मौके पर पहुंचे और पास की एक चाय की दुकान में घुसकर ईंट—पत्थर चलाने लगे। हमले से बचने के लिए दूसरा पक्ष जान बचाकर छत पर चढ़ गया। नीचे खड़ी उनकी गाड़ियों को हमलावरों ने निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। कई वाहनों के शीशे टूट गए और आसपास खड़े लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक हाथों में बेल्ट लहराते हुए छत की ओर गालियां देते और धमकी देते दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक खुलेआम पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। सूचना मिलते ही तिवारीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।

थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में दबिश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अंधियारीबाग और तरंग क्रॉसिंग क्षेत्र के युवकों के बीच पुराना विवाद है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

वहीं इससे पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीनगर उत्तरी मोहल्ले में शुक्रवार रात सपा से जुड़े छात्र नेता के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। विरोध करने पर घर में मौजूद उनकी मां से मारपीट की गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

राम मंदिर की भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए गुयाना के उप राष्ट्रपति

संवाददाता—अयोध्या। गुयाना के उप राष्ट्रपति भारत जगदेव शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन करके पूजा—अर्चना की। वह सुबह करीब 11 बजे प्राइवेट एयरक्राफ्ट से महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरे। एयरपोर्ट पर शंख बजाने के साथ पारंपरिक अवधी रीति—रिवाजों से मेयर गिरीश पति त्रिपाठी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। यहां से वह राम मंदिर पहुंचे। वीआईपी गेट नंबर—11 से अंदर गए।

मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने मंदिर में उनका स्वागत किया। भारत जगदेव ने भगवान राम के श्दर्शनश किए। इस दौरान उन्होंने अंदर कुबेर टीला और सप्त ऋषि मंदिर समेत दूसरे मंदिरों में भी दर्शन किया।

ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि भारत जगदेव दिल्ली में ।ए इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए थे। वहां से वापस गुयाना जाने से पहले रामलला के दर्शन किए। उन्होंने राम मंदिर की शान और चल रहे कंस्ट्रक्शन काम की तारीफ की। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी अपनी टीम के साथ तैनात रहे। इसके अलावा कमिश्नर राजेश कुमार, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सोमेन वर्मा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे भी मौजूद रहे।

बस्ती विकास प्राधिकरण

संख्या—2562 / ब०वि०प्रा०बस्ती /2025—26 दिनांक—21.02.2026

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती रश्मी सिंह पत्नी श्री शशांक शंकर सिंह निवासी गाटा सं०—1/1 ग्राम—गोरया तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब, जनपद बस्ती द्वारा उक्त गाटे में सर्विस गैराज वर्कशॉप के निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र सख्या—BSDA/BP/25-26/0323 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। पक्ष द्वारा उक्त भूखण्ड में सर्विस गैराज वर्कशॉप के उपयोग हेतु निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त स्थल का भू—उपयोग बस्ती महायोजना—2031 (भाग—क) के अन्तर्गत हाइवे फैसेलिटी जोन 12 मी० सडक के अन्तर्गत आता है। (पताका—क) बस्ती महायोजना 2031 (भाग—क) में दिये गये जोनिंग रेगुलेशन एवं मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलशेन में भू—उपयोग जोन्स 15.3.2 में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित जोन मैट्रिक्स 6.2 में सर्विस गैराज / वर्कशॉप हाइवे फैसेलिटी जोन भू—उपयोग के अन्तर्गत सामान्यतः अनुमन्य है। (पत्ताका—ख)

मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलशेन में शासन के निर्गत आदेश दिनांक—21.11.2025 के अनुसार जोनिंग नियम अध्याय 18 के प्रस्तर 15.1.3 समाधात शुल्क में नियमावली 2024 का संदर्भ है, जिसमें 15 दिन की अवधि निर्धारित है। प्रस्तर 15.1.3 **(iv) ''महायोजना भू—उपयोग अथवा अनुमोदित ले—आउट में परिभाषित भू—उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रकिया के अनुसार जनता से आपत्ति/सुझाब करने के उपरांत दी जाएगी।''**

यदि उक्त भूमि पर सर्विस गैराज/वर्कशॉप के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किए जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो, 15 दिवस के अंदर साक्ष्यों सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अथवा बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती के कार्यालय में दर्ज करा सकता है, 15 दिवस की अवधि के उपरांत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही कर दी जाएगी।

सचिव
बस्ती विकास प्राधिकरण,
बस्ती।

सीवर लाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण जोरों पर

संवाददाता—गोरखपुर। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन—सी पार्ट—2 में सीवर लाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनस्थार्पन कार्य जोरों पर है। 561.34 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना के तहत जिन मार्गों को सीवर कार्य के दौरान काटा गया था, उनकी मरम्मत उच्च गुणवत्ता के साथ कराई जा रही है। शनिवार को दिग्विजयनगर वार्ड में नव निर्मित सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने 28 फरवरी तक शेष सड़कों का पुनर्स्थापन का लक्ष्य हासिल करने का दावा किया। इस परियोजना के तहत महानगर के 21 वार्डो मसलन जंगल बेनीमाधव, लच्छीपुर, जटेपुर उत्तरी, उर्वरक नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, अंधियारी बाग, रामजानकी नगर, जनप्रिय विहार, हुमायूंपुर उत्तरी, सूर्यकुंडधाम नगर, कल्याणपुर, राजेंद्र नगर, चकसा हुसैन, विकास नगर और पुराना गोरखपुर में 188.47 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जा चुकी है।

इसके सापेक्ष जल निगम ने 183.87 किमी लंबाई में पेसिफिक हॉस्पिटल रोड (इंडस्ट्रियल एरिया), दिग्विजय नगर मुख्य मार्ग, ब्लॉक—1 चंद्रगुप्त नगर, बजरंग नगर—रामनगर रोड, सिंचाई विभाग—भगवती चौराहा मार्ग, आदित्य नगर कॉलोनी रोड, रामपुर नया गांव रोड, खेतान हॉस्पिटल रोड—विस्तार नगर मार्ग, सेंट्रल एकेडमी रोड विस्तार नगर और यादव टोला रोड शामिल हैं। शेष तकरीबन 05 किमी में बची सड़कों का निर्माण 28 फरवरी तक कर लिया जाएगा। मरम्मत कार्य में गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उधर दिग्विजय नगर के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया कि इस परियोजना से 4.50 लाख की आबादी को सीवर की सुविधा और जलभराव से मुक्ति मिलेगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षित तरीके से कराए जा रहे कार्यों से वार्ड के नागरिक संतोष व्यक्त कर रहे हैं। बोले अधिशासी अभियंता पूर्व में पुनर्स्थापित वे सड़कें, जो वर्षा, जलभराव अथवा अन्य कारणों से बैठ गई हैं, उन्हें भी टीम गठित कर चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी सड़कों का भी शीघ्र ही मानक के अनुरूप दोबारा पुनर्स्थापन कराया जाएगा। सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। आमजन को असुविधा न हो, इसके लिए बैरिकेडिंग व सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। पंकज कुमार, अधिशासी अभियंता, जल निगम, नगरीय

भरी तहसील में अफसरों के सामने किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास

संवाददाता—अयोध्या। रुदौली तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एक पीड़ित किसान सत्रोहन ने अधिकारियों के सामने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। वह लंबे समय से जमीन की पैमाइश और शिकायतों के लंबित होने से परेशान था। लेखपाल और संबंधित अधिकारियों को कई बार आवेदन देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इस पर किसान का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सत्रोहन ने कहा कि तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है। उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा।

घटना के समय तहसील दिवस में विधायक रामचंद्र यादव, एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे। माहौल को देखकर पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों ने किसान को पकड़ लिया।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा क्लाइंट आधार हाउसिंग फाइनेंस लि० शाखा अयोध्या ब्रान्च आफिस 05/17/171 प्रथम तल शक्ति नगर कालोनी देवकाली स्मार्ट बाजार के सामने अयोध्या की तरफ से सूचित किया जाता है कि रमा कान्त भारती पुत्र राम नाथ ग्राम—रौसिंहापार, पोस्ट—देवापार, बस्ती सदर दुहवा जिला—बस्ती उ0प्र0 272302 ने एक बैनामा 728 वर्ग फिट का स्थित गाटा सं०—29 अबमि मौजा—संतपुर ऊर्फ गदहाखोर, तप्पा—हवेली परगना—बस्ती पूरब, तहसील—बस्ती, जिला—बस्ती जिसकी चौहद्दी—पूरब में जमीन मुकिर, पश्चिम में जमीन मुकिर, उत्तर में जमीन अनूपमा चौबे तथा दक्षिण में कच्चा रास्त 14 फिट चौड़ा—

इसको बन्धक रखने बैंक अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति मे आपत्ति हो तो इस प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर दें अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी भी प्रकार के उपरोक्त संस्था को बंधक रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रग्यांशु शुक्ला एडवोकेट)
एलजीएफ —011, निचली भूतल, A1
विल्डिंग, ब्लाक—ए, सेक्टर—59
नोएडा उ0प्र0 201301
मो0नं0—8920298602

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com